दिनांक 27.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 32/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शामली/थाना कैराना

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 27.02.2025 को थाना कैराना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मलकपुर जंगल में बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त बिलाल उर्फ बिल्लू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शामली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तरा अभियुक्त थाना कैराना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बिलाल उर्फ बिल्लू निवासी ग्राम मंसूरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

कमिश्नरेट आगरा/थाना ट्रांसयमुना

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 27.02.2025 को थाना ट्रांसयमुना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर झरना नाले के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शानू उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना ट्रांसयमुना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ट्रांसयमुना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शानू उर्फ सोनू निवासी नौलक्खा थाना सदर बाजार कमिश्नरेट आगरा।

जनपद रामपुर/थाना शहजादनगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 27.02.2025 को थाना शहजादनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चमरपुरा तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त गौश मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना केमरी पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शहजादनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गौश मोहम्मद निवासी ग्राम सोनकपुर थाना टाण्डा जनपद रामपुर।

जनपद रामपुर/थाना केमरी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 27.02.2025 को थाना केमरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कमुआ रोड़ तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सद्दाम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना केमरी पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना केमरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सद्दाम निवासी टेहरी ख्वाजा थाना खजुरिया जनपद रामपुर।

जनपद एटा/थाना मलावन

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 26.02.2025 को थाना मलावन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला सूडा अण्डरपास के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद एटा के विभिन्न थानो में लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मलावन पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मलावन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमन निवासी दूल्लापुर थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के बिजली के तार व कॉइल**
- **03 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप बरामद**

दिनांक 27.02.2025 को थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम असुआ के नगला बिलोटिया मार्ग पर चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 03 अभियुक्त 1–ओमवीर 2–सत्तार 3–वसीम घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के बिजली के तार व कॉइल, घटना में प्रयुक्त 01 पिक अप, 03 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.01.2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बिजली के तार चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त वसीम के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, एटा, आगरा के विभिन्न थानों पर चोरी, विद्युत एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग, अभियुक्त ओमवीर के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, आगरा के विभिन्न थानों पर चोरी, विद्युत एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त सत्तार के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, विद्युत चोरी आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ओमवीर निवासी ग्राम नागर थाना निबोहरा जनपद आगरा।

2–सत्तार निवासी कश्मीरी गेट थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद।

3–वसीम निवासी नयाबांस थाना खैरगढ जनपद फिरोजाबाद हाल पता सुपर फाइन फैक्टरी के पास थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के बिजली के तार व कॉइल।

2–घटना में प्रयुक्त 01 पिक अप।

3–03 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना बण्डा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **15 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 27.02.2025 को थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गहलुईया जंगल वाले रास्ते के पास से 03 अभियुक्त 1–सुखपाल 2–सुनील 3–छोटेलाल

को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 15 हजार 500 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.02.2025 को थाना बण्डा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा छिनैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बण्डा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुखपाल निवासी ग्राम नवीनगर थाना बण्डा जनपद शाहजहॉपुर।

2—सुनील निवासी ग्राम नवीनगर थाना बण्डा जनपद शाहजहॉपुर।

3—छोटेलाल निवासी ग्राम नवीनगर थाना बण्डा जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1—15 हजार 500 रूपये नगद।

2—01 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद आजमगढ़/थाना तहबरपुर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **01 मिस कारतूस, 06 अर्द्ध निर्मित नाल विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 27.02.2025 को थाना तहबरपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम खुटिया के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे

अभियुक्त लालधारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 10 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 01 मिस कारतूस, 06 अर्द्ध निर्मित नाल विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना तहबरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लालधारी निवासी ग्राम खुटिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1–10 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–01 मिस कारतूस, 06 अर्द्ध निर्मित नाल विभिन्न बोर।

3–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **जनपद बिजनौर/थाना चांदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सुरदीप 2–गौतम को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद जौनपुर/थाना मुगराबादशाहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना मुगराबादशाहपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–कृष्ण कुमार

को धारा 302/34/498ए भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं 2–अभियुक्ता को धारा 302/34/498ए भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद गोरखपुर/थाना कैम्पियरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–गोविन्द 2–कमलेश को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मऊ/थाना कोपागंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तो को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 85 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना कोपागंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अजय को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 85 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती/थाना नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तो को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामजीत को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना छावनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना छावनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–आस मोहम्मद 2–अरमान को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना सदरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना सदरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नीरज को 07 वर्ष के कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 27.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 33/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 द्वारा विश्व के सबसे बड़े मानव समागम, आस्था का पर्व भव्य, दिव्य, डिजिटल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुम्भ–2025 का किया गया समापन

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में प्रयागराज के पावन संगम तट पर आयोजित विश्व के सबसे बड़े मानव समागम, आस्था का पर्व भव्य, दिव्य, डिजिटल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुम्भ–2025 का समापन किया गया।

इस अवसर पर **मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0**, मा0 उप मुख्यमंत्री गण उ0प्र0, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, प्रमुख सचिव गृह उ0प्र0 शासन एवं वरिष्ठ अधिकारीगण गंगा पंडाल में आयोजित बडा खाना में पुलिस कार्मिकों के साथ सम्मलित हुए।

मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 द्वारा अपने उदबोधन में कहा गया किः– आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व, उनके लीडरशिप एवं मार्गदर्शन में हम सफलता के एक नए प्रतिमान को छूते हुए आगे बढ़े हैं और आप सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ऊंची चोटी पर आप लोगों ने इस आयोजन को पहुंचाया है। मुझे पहले दिन से विश्वास था कि हम कर देगें, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस बल की क्षमता को देखा है तोला है और मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ते हुए देखा है। महाकुंभ के दौरान सिविल पुलिस, केंद्रीय पुलिस बल, पीएसी के जवानों, पुलिस बल से जुड़े हुए होमगार्ड एवं पीआरडी के जवानों द्वारा यहां पर अपने कौशल, व्यवहारिक दक्षता का परिचय देते हुए जिस प्रकार की संवेदनशीलता, शालीनता और धैर्य के साथ ड्यूटी की गई है उसकी सराहना एवं चर्चा हर उस व्यक्ति के द्वारा की गई है जो यहाँ पर आया है।

वर्ष 2017 से लगातार हमने कार्य किया, पहले अपराधियों की कमर तोड़ी, माफिया राज समाप्त किया, दंगा मुक्त प्रदेश को बनाया, अब 'मित्र पुलिस' के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी दुनिया में अपनी अलग तस्वीर स्थापित की है। उत्तर प्रदेश जल पुलिस और उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेस ने भी अपने पूरे नए बेड़े के साथ इस महाकुंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। क्विक रिस्पांस क्या होता है आपने देखा होगा, प्रयागराज में

जब भी आग लगी कहीं किसी पंडाल में किन्ही कारणों से लगी, 10 मिनट के अंदर उसको कंट्रोल कर लिया गया। मै समस्त जवानों को इस आयोजन की सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप सभी का अभिनन्दन करता हूँ।

मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 द्वारा महाकुम्भ में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए **निम्नलिखित घोषणाएं** की गई हैः–

1–महाकुम्भ में ड्यूटी करने वाले सभी प्रकार के पुलिसबल जिनकी संख्या लगभग 75 हजार थी, सभी को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए **महाकुम्भ सेवा मेडल** दिए जाने की घोषणा की गई।

2– महाकुम्भ में ड्यूटी करने वाले समस्त पुलिस बल को उत्कृष्ट सेवा के लिए **प्रशस्ति पत्र** प्रदान करने की घोषणा की गई।

3– महाकुंभ में लगे उत्तर प्रदेश के अराजपत्रित पुलिसकर्मियों/होमगार्ड/ पीआरडी को **₹10,000/**– के स्पेशल बोनस देने की घोषणा की गई।

4– सभी पुलिसकर्मियों को चरणबद्ध तरीके से **एक सप्ताह के विशेष अवकाश** दिए जाने की घोषणा की गई।

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने अपने भावनात्मक उदबोधन में कहा किः–आज हम इस बड़ा खाना के अवसर पर केवल भोजन साझा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अद्भुत यात्रा का जश्न मना रहे हैं। एक ऐसी यात्रा, जिसमें हमारी पुलिस बल ने कंधे से कंधा मिलाकर, एक परिवार की तरह कार्य किया और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन, महाकुंभ मेला को सफलतापूर्वक संपन्न कराया।

परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परिकल्पित दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने अथक परिश्रम से सफलतापूवक साकार किया।

मैंने देखा है कि कैसे आपने असंभव को संभव बनाया। यह आपकी एकजुटता, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता का ही परिणाम है कि महाकुंभ न केवल सुरक्षित रहा, बल्कि ऐतिहासिक रूप से सफल भी रहा।

मैं इस अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपकी सशक्त नेतृत्व क्षमता, निरंतर निगरानी और अटूट समर्थन हमारी सबसे बड़ी शक्ति रही है। एक अभिभावक की तरह, आपने हर चुनौती में हमारा मार्गदर्शन किया, हर कठिन परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे। जब मुश्किलें आईं, तो आप एक चट्टान की तरह दृढ़ता से हमारे साथ खड़े रहे। आपकी दूरदर्शिता के कारण ही यह महाकुंभ एक ऐतिहासिक सफलता बना, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी।

मैं आज इस मंच से उ0प्र0 पुलिस एवं समस्त सुरक्षा बलों के प्रत्येक जवान और अधिकारियों और मेला प्रशासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिल से बधाई देना चाहता हूं। आपने जो परिश्रम, निष्ठा और अनुशासन इस महाकुंभ में दिखाया है, वह केवल ड्यूटी नहीं, बल्कि एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। आपमें से कई लोगों ने लगातार दो महीनों तक अपने परिवार से दूर रहकर, कड़ाके की ठंड और कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य को निभाया। पुलिस कार्मिकों द्वारा ड्यूटी के दौरान अथक परिश्रम करते हुये पूर्ण समर्पण, सेवाभाव एवं सतर्कता के साथ–साथ Skill & Good Behaviour का उक्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। आपकी यह सेवा, त्याग और समर्पण हमें यह सिखाता है कि जब वर्दी पहनते हैं, तो हमारा पहला धर्म राष्ट्र और जनता की सेवा बन जाता है।

मेरे पुलिस परिवार के वीर जवानों, आपके समर्पण, आपके त्याग और आपके अदम्य साहस को नमन। आपने केवल महाकुंभ का संचालन नहीं किया, बल्कि इसका एक अभिन्न इतिहास रच दिया।

दिव्य भव्य डिजिटल
सुरक्षित स्वच्छ सुव्यवस्थित
महाकुम्भ - 2025

एसएसबी